मुद्रण तथा लेखन—सामग्री विभाग

मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन—सामग्री

(राजपत्रित) सेवा नियम, 1969

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1998

सेवा भरती नियम

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 1970

क्र. 1853-3222-सात-स्थापना-69.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को भरती तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) ये नियम मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा नियम, 1969 कहलाएंगे.

(2) ये नियम, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होते ही तत्काल प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आयोग'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ख) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;

(ग) ''अनुसूची'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

(घ) ''सेवा'' से तात्पर्य नियम 4 में उल्लिखित किसी भी संवर्ग की राज्य मुद्रण तथा लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा से है;

(ङ) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के वे ही अर्थ होंगे जो कि उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) तथा (25) में दिये गये हैं तथा जो इस रूप में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई है;

(च) ''राज्य शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम राज्य मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात स्टेट रीआर्गनाइजेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक छत्तीस, सन् 1956) के अधीन किसी भी सदस्य के प्रत्याभूत वेतन के संबंध में उसके अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय ''अनुसूची एक'' में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; तथा

(तीन) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये जाएं.

5. **सेवा का वर्गीकरण.**—सेवा को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा, जिसमें निम्न वर्णित संवर्ग (केडर) सम्मिलित होंगे :—

वर्गीकरण (1)	संवर्ग (केडर) (2)
प्रथम वर्ग	(एक) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (दो) उप-नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें.
द्वितीय वर्ग	सहायक नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें.

6. **संवर्गों का गठन**.—नियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संवर्ग में पदों की वह संख्या तथा पदों का वह वेतनमान होगा जैसा कि ''अनुसूची 1'' में विनिर्दिष्ट है:

परन्तु राज्य शासन समय-समय पर संवर्ग में सम्मिलित किये गये पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

7. **भरती का तरीका.**—(1) (एक) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के संवर्ग में भरती भारतीय प्रशासन सेवा (आई. ए. एस.) के संवर्ग से की जायेगी, और

(दो) उप-नियंत्रक के संवर्ग में भरती, सहायक नियंत्रक, मुद्रण, लेखन सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायेगी;

(तीन) सहायक नियंत्रकों के संवर्ग में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी :—

(एक) सीधी भर्ती द्वारा; और

(दो) पदोन्नति द्वारा.

(2) सहायक नियंत्रकों, मुद्रण, लेखन-सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें के 4 से अधिक पद, सीधी भरती द्वारा नहीं भरे जायेंगे.

(3) उपनियम (1) तथा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो राज्य शासन, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उप-खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट तरीकों को छोड़कर सेवा में भरती करने संबंधी ऐसे अन्य तरीकों को अपना सकेगा, जो वह लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें.

8. इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 7 के उपबंधों के अनुसार ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

9. किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही स्थायी सेवा में हो, अन्य पद पर पदोन्नत किया गया हो, सामान्यतः पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा. यदि वह पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये तो उसे उसके पूर्ववर्ती मूल पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा.

10. **शिक्षा तथा आयु संबंधी अर्हता.**—(1) कोई भी व्यक्ति सहायक नियंत्रक के पद पर नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने चयन के प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, परन्तु 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में :—

(क) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार की दशा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी.

(ख) उन उम्मीदवारों के संबंध में, जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं या रहे हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी'' ऐसे व्यक्ति को व्यक्त करता है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम निरन्तर छः माह की कालावधि के लिये रहा हो तथा जो नियोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(दो) जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' ऐसे व्यक्ति को व्यक्त करता है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि के लिये सेवा में रहा हो तथा जिसकी, किसी भी नियोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी हो जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो अतिरिक्त घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

(क) नियुक्ति की अल्पकालिक अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;

(4) ऐसे पदाधिकारी, (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(5) ऐसे पदाधिकारी, जिन्हें कि अवकाश रिक्तियों पर, छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;

(6) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये भूतपूर्व सैनिक;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब उनके कार्यक्षम सैनिक बनने की संभावना नहीं रही है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा मण्डल की सिफारिशों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो.

अन्य किसी भी स्थिति में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी.

विभागीय उम्मीदवारों को चयन हेतु उपसिंजात् होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी ही चाहिए.

(2) उम्मीदवार के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी ही चाहिए जो कि अनुसूची-2 में दर्शाई गई है, परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास भले ही इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसमें अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जिनके कारण आयोग की राय में ऐसे उम्मीदवार को चयन के लिये विचार करना न्यायोचित हो.

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों को चयन के लिये विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों.

11. **अनर्हता.**—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी भी जरिए से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसे चयन के लिये अनर्ह करता हुआ माना जाएगा.

12. **उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा.**—चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा.

13. **चयन द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सेवा में भरती हेतु चयन ऐसे अन्तरालों पर आयोजित किया जाएगा, जिसे शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर अवधारित करें.

(2) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन, आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार लेने के बाद किया जायेगा.

14. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.**—आयोग, चुने गये उम्मीदवारों की, जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, विधिवत् अधिमान क्रम से बनाई गई नाम और अन्य ब्यौरों की सूची तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों के नाम और अन्य ब्यौरों की सूची जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं हों, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, राज्य शासन को भेजेगा.

15. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिये प्रारंभिक चयन हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-तीन में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठकें ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक के न हों.

16. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को, अनुसूची-तीन के कॉलम (2) में वर्णित पद/सेवा में या ऐसे किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथोल्लिखित वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) पूरी कर ली है.

17. **उपयुक्त पदाधिकारियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 16 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझती हो. यह सूची दो वर्ष तक सम्भाव्य रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये चयन वरिष्ठता का सम्यक् रूप से ध्यान रखते हुए सभी दृष्टियों से योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किये गये पदाधिकारियों के नाम मुद्रण तथा लेखन-सामग्री सेवा में यथास्थिति, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग में वरिष्ठता क्रम से रखे जायेंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ पदाधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ पदाधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया में राज्य अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

18. **आयोग से परामर्श.**—नियम 17 के अनुसार तैयार की गई सूची निम्नलिखित कागजों के साथ शासन द्वारा आयोग को भेजी जायेगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा [अनुसूची तीन के कॉलम (2) में यथोल्लिखित] के ऐसे समस्त सदस्यों के अभिलेख, जिनको, सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है;

(तीन) मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा [अनुसूची तीन के कॉलम (2) में यथोल्लिखित] के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण; और

(चार) समिति की सिफारिशों के संबंध में शासन के सम्प्रेक्षण.

19. **चयन सूची.**—(1) आयोग, शासन से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा टीका-टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् शासन ऐसे उपान्तरण के साथ यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची का अन्तिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा.

(3) आयोग द्वारा अन्तिम रूप से यथा अनुमोदित सूची मुद्रण तथा लेखन-सामग्री सेवा [अनुसूची तीन के कॉलम (2) में यथोल्लिखित] के सदस्यों को मुद्रण तथा लेखन-सामग्री सेवा [अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथोल्लिखित] पदों पर पदोन्नत करने के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची मामूली तौर पर तब तक प्रभावशील रहेगी; जब तक कि वह नियम 17 के उप-नियम (4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित न की जाय :

परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों का पालन करने में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा आयोग यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन-सूची से निकाल सकेगा.

20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन-सूची में सम्मिलित पदाधिकारियों की सेवा के संवर्ग के अन्तर्गत पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में ऐसे पदाधिकारियों के नाम चयन-सूची में हों :

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करें तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित न हो या जिनका नाम चयन-सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि उक्त रिक्त स्थान के तीन माह से अधिक समय तक रहने की संभावना नहीं है.

(2) ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व जिसका कि नाम सेवा की चयन-सूची में सम्मिलित हो मामूली तौर से आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन-सूची में उसका नाम सम्मिलित करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य के स्तर में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो शासन की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अयोग्य हो गया हो.

21. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा. बशर्ते कि कोई स्थायी पद रिक्त हो अन्यथा नियुक्ति स्थानापन्न रूप में अस्थायी रूप से की जायेगी.

22. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो वह राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उनका विनिश्चय अंतिम होगा.

23. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसको ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसे न्यायसंगत और सामयिक प्रतीत हो :

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो कि इन नियमों में उपबन्धित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

24. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—तद्विषयक ऐसे समस्त नियम या कार्यपालिका अनुदेश, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त हो, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों तथा अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई भी कार्यवाही जहां तक इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी.

अनुसूची एक

(नियम 6 देखिए)

राज्य मुद्रण तथा लेखन-सामग्री (राजपत्रित) सेवा का गठन

	पदों का नाम	वर्गीकरण	संवर्ग के पदों की संख्या	वेतनमान
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	प्रथम वर्ग	1	वरिष्ठ आई.ए.एस. वेतनमान तथा 250 रुपये विशेष वेतन.
2.	उप-नियंत्रक, (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें).	प्रथम वर्ग	6	400-950 रुपये
3.	सहायक नियंत्रक, (मुद्रण, लेखन-सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकें).	द्वितीय वर्ग	9	275-700 रुपये

अनुसूची दो

[नियम 10 (2) देखिए]

सेवा में भरती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं

पदों का नाम (1)	शैक्षणिक अर्हताएं (2)
सहायक नियंत्रक	(एक) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड की इण्टरमीजिएट परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या विभागीय उम्मीदवार के मामले में वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए. (दो) उसे भारत की या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में लाईसेंसियेट होना चाहिए और साथ ही साथ किसी बड़े मुद्रणालय में पर्यवेक्षक की हैसियत (सुपरवाइजरी केपेसिटी) में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए. जो उम्मीदवार लाइसेंसियेट न हो उसे किसी अच्छे आधुनिक मुद्रणालय में पर्यवेक्षक की हैसियत में पांच वर्षों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए. (तीन) उसे हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए.

अनुसूची तीन

(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाती हो (2)	उस पद का नाम जिस पद पदोन्नति की जाती हो (3)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (4)	उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम सेवा (5)	न्यूनतम अर्हता (6)
राजस्व (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) विभाग.	1. प्रधान परीक्षक 2. ओवरसियर * 3. कार्यालय अधीक्षक	सहायक नियंत्रक	(एक) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य. (दो) शासन के उप-सचिव राजस्व विभाग. (तीन) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री.	5 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
	द्वितीय वर्ग राजपत्रित सहायक नियंत्रक.	प्रथम वर्ग राजपत्रित उप-नियंत्रक	(एक) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य. (दो) शासन के सचिव राजस्व विभाग. (तीन) शासन के उप-सचिव राजस्व विभाग. (चार) नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री.	5 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में अनुज्ञा प्राप्त (लाइसेंसियेट) होना चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशनुसार,
म. अ. खां, विशेष सचिव.

* As per Amendment published in M. P., Gazette Part IV dated 28-3-82

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 1970

क्र. 1853-अ-3222-सात-स्था.-69.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1853-3222-सात-स्था.-69, दिनांक 24 अप्रैल, 1970 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
म. अ. खां, विशेष सचिव.

Bhopal, the 24th April 1970

No. 1853-3222-VII-EST-69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Madhya Pradesh Printing and Stationery (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Printing and Stationery (Gazetted) Service Rules, 1969.

(2) They shall come into force immediately on their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions**.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(b) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(c) "Schedule" means the Schedule appended to these Rules;

(d) "Service" means the State Printing and Stationery (Gazetted) Service in any of the Cadre specified in Rule 4;

(e) "Scheduled Castes and Schedules Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by Clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution and or notified as such by the State Government from time to time;

(f) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application**.—(1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the State Printing and Stationery (Gazetted) Service in the State:

Provided that nothing in these rules shall affect prejudicially the right of any member relating to pay guaranted to him under the State Reorganisation Act, 1956 (XXXVI of 1956).

4. **Constitution of the Service.**—The service shall consist of the following persons, namely:—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification of Service.**—The service shall be classified into two classes of service consisting of the cadres as mentioned below:—

Classification		Cadre
Class I	(i)	Controller, Printing and Stationery
	(ii)	Deputy Controllers, Printing and Stationery and Text Books
Class II		Assistant Controllers, Printing and Stationery and Text Books

6. **Constitution of cadres.**—Each cadre specified in rule 5 shall consist of the number of posts and shall carry the pay scale as specified in the Schedule I:

Provided that the State Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in a cadre either in a permanent or temporary basis.

7. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to:—

(i) The cadre of Controller, Printing and Stationery shall be made from the cadre of I. A. S. and

(ii) The cadre of Deputy Controllers shall be made by promotion from the cadre of Assistant Controllers (Printing, Stationery and Text Books);

(iii) The cadre of Assistant Controllers shall be made by:—

(i) direct recruitment; and

(ii) by promotion.

(2) Not more than four posts of Assistant Controllers (Printing, Stationery and Text Books) shall be filled in by direct recruitment.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if in the opinion of the State Government, the exigencies of the Service so require, the State Government may, after consulting the Commission, adopt such methods of recruitment other than those specified in sub-clause (1) as it may by an order in writing specify.

8. All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the State Government and no such appointment shall be made accept in accordance with the provision of Rule 7.

9. A person already in permanent service promoted to another post shall ordinarily be appointed in an officiating capacity to ascertain his suitability for the post. If he is found to be unsuitable for the post, he shall be reverted to his former substantive post.

10. **Education and age qualification**.—(1) No person shall be eligible for appointment to the post of Assistant Controller unless he has attained the age of 25 years but has not attained the age of 35 years on the 1st January next following the date of the commencement of selection:

Provided that the upper age limit of 35 years may be relaxable:—

(a) up to a maxmimum of 5 years in case of candidate belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribes;

(b) in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maxmimum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resulting age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation.—The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who has in Temporary Government Service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(ii) A candidate who is an Ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation.—The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on:—

(a) completion of short-term engagement.

(b) fulfilling the conditions of enrollment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Units.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short Service Regular Commissionded Officer);

(5) Officers discharged after working for more than 6 months continuosly against leave vacancies;

(6) Ex-servicemen invalided out of service;

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshortwounds, etc.

In on other case will these age limit be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(2) A candidate shall posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule II, provided that:—

(a) in exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the State Government, treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed

in this clause, has passed examinations conducted by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justified the consideration of the candidate for selection.

(b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

11. **Disqualification**.—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means made be held by the Commission to disqualify him for selection.

12. **Commission's decision about the eligibility of candidates final**.—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

13. **Direct recruitment by selection**.—(1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

14. **List of candidates recommended by the Commission**.—The Commission shall forward to the State Government a list containing the names and other details of the selected candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who though not qualified by that standard are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of Administration.

15. **Appointment by promotion**.—(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule III for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

16. **Conditions of eligibility for promotion**.—The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year, had completed years of service as given in Column (5) of Schedule III (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in Column (2) of the said Schedule or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government.

17. **Preparation of list of suitable officers.**—(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 16 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for 2 years.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the Printing and Stationery Service, Under Class I or Class II, as the case may be:

Provided that any junior officer who in the opinion of the Committee is of exceptional merit and suitability, may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If, in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the State Subordinate Civil Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

18. **Consultation with the Commission**.—The list prepared in accordance with Rule 17 shall than be

forwarded to the Commission by the Government along with:—

(i) the records of all persons included in the list;

(ii) the records of all members of the Printing and Stationery (Gazetted) Service [as shown in Column (2) Schedule III]; who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list;

(iii) the reasons as recorded by the Committee for the proposed supersession of any member of the Printing and Stationery (Gazetted) Service; [as shown in Column (2) Schedule III], and

(iv) the observations of the Government on the recommendations of the Committee.

19. **Select list.**—(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee along with the other documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed, and after taking in to account the comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the commission shall form the Select List for promotion of the members of the Printing and Stationery Service [as shown in column (2) Schedule III] to the posts of the Printing and Stationery Service [as mentioned in Column (3) Schedule III].

(4) The Select List shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 17:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any persons, included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government and the Commssion may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

20. **Appointment to the Service from the Select List**.—(1) Appointments of the officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers, appear in the Select List:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than 3 months.

(2) It Shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

21. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years, provided a permanent vacancy exists otherwise the appointment will be made temporarily in an officiating capacity.

22. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

23. **Relaxation.**—Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

24. **Repeal and saving.**—All rules or executive instructions on the subject in force in any of the regions of the State of Madhya Pradesh immediately before the commencement of these rules are hereby repealed :

Prvided that anything done or any action taken under the rules or instructions so repealed shall, so for as thay are not inconsistant with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE I
(See rule 6)

Constitution of State Printing and Stationery (Gazetted) Service

Name of posts (1)	Classification (2)	No. of posts in the cadre (3)	Scale of pay (4)
1. Controller, Printing and Stationery	Class I	1	Senior I.A.S. Scale Plus Rs. 250 special pay.
2. Deputy Controllers (Printing Stationery and Taxt Books).	Class I	6	Rs. 400—950
3. Asstt. Controllers (Printing Stationery and Taxt Books).	Class II	9	Rs. 275—700

SCHEDULE II
[See rule 10(2)]

Educational Qualifications for Recruitment to the Service

Name of posts (1)	Educational qualification (2)
Asstt. Controller	(i) Must have passed the Intermediate Examination of a recognised University or Board or its equvalent or Higher Secondary Examination in case of departmental candidate.
	(ii) Must be a licentiate in Printing Technology from any recognised Institute in India or aboard together with 1 year's experience in a Supervisory Capacity in a big Printing Press. For a Non-licentiate, 5 years practical experience in Supervisory Capacity in a well organised upto-date Printing Press.
	(iii) Must have working knowledge of Hindi.

SCHEDULE III
(See rule 15)

Name of Deptt.	Name of Post from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental Promotion Committee (*vide* rule 15)	Minimum Service essential for eligibility for promotion to higher post	Minimum qualifiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Revenue (Pringing and Stationery) Department	1. Head Examiner 2. Overseer *3. Office Supdt.	Asstt. Controller	(i) Chairman or Member of Public Service Commission. (ii) Dy. Secy. to Govt. Revenue Department. (iii) Controller, Printing and Stationery.	5 years	Must have Passed Higher Secondary School Certificate Exam.
	Class-II—*Gazetted* Asstt. Controllers.	Class-I—*Gazetted* Dy. Cont-roller.	(i) Chairman or Member of Public Service Commission. (ii) Secretary, to Government Revenue Department. (iii) Dy. Secy. to Government Revenue Department. (iv) Controller, Printing and Stationery.	5 years	H. S. S. & Licentiate in Ptg. Technology.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. A. KHAN, Special Secretary.

*as per Amendment published in M. P. Gazette Part IV, dated 23-3-82

भाग 4 (ग)
अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 1982

क्र. 640-1-सात-शाखा-5-82.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन में,—

(1) कालम (2) में सहायक नियंत्रक के पद पर पदोन्नति से संबंधित प्रविष्टि के सामने, अंक तथा शब्द ''2 ओवरसियर'' के नीचे अंक तथा शब्द ''3 कार्यालय अधीक्षक'' जोड़े जायं, और

(2) कालम (6) में उप-नियंत्रक के पद पर पदोन्नति से संबंधित प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाय, अर्थात्:—

''उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा भारत की या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में अनुज्ञा प्राप्त (लाइसेंसियेट) होना चाहिये''.

No. 640-1-VII-Sect.-5-82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following Amendments in the Madhya Pradesh, Printing and Stationery (Gazetted) Service Rules, 1969 namely:—

AMENDMENTS

In the said Rules, in Schedule III,—

(1) In column (2), against the entry relating to the promotion to the post of Asstt. Controller, below the figure and the word "2 Overseer", the figure and the words "3 Office Superintendent" shall be added; and

(2) In column (6), against the entry relating to the promotion to the post of Deputy Controller, the following entry shall be inserted, namely:—

"Must have passed Higher Secondary School Certificate Examination and be a licentiate in Printing Technology from any Recognised Institute in India or abroad."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. दाते, सचिव.

भाग 4 (ग)
अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 1990

क्र. 13-2-87-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 में, शीर्षक ''संवर्ग (केडर)'' के अधीन—

(क) अनुक्रमांक (एक) के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात्:—

''(दो) संयुक्त नियंत्रक, मुद्रण.

(तीन) संयुक्त नियंत्रक, लेखन सामग्री.

(ख) विद्यमान अनुक्रमांक (दो) को अनुक्रमांक (चार) पढ़ा जाय.''.

2. नियम 7 में, उपनियम (1) में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

''(एक-क) संयुक्त नियंत्रक, मुद्रण और संयुक्त नियंत्रक, लेखन सामग्री के संवर्ग में भरती उप नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायेगी.''.

3. विद्यमान अनुसूची एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाये, अर्थात्:—

अनुसूची-एक

(नियम 6 देखिये)

	पद का नाम	वर्गीकरण	संवर्ग के पदों की संख्या	वेतनमान
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री.	प्रथम वर्ग	1	भारतीय प्रशासन सेवा
2.	संयुक्त नियंत्रक, मुद्रण	प्रथम वर्ग	1	रु. 3700—125—4700—150—5000

(1)		(2)	(3)	(4)
3.	संयुक्त नियंत्रक, लेखन सामग्री	प्रथम वर्ग	1	रु. 3700—125—4700—150—5000
4.	उप नियंत्रक, मुद्रण, लेखन सामग्री.	प्रथम वर्ग	6	रु. 3000—100—3500—125—4500
5.	सहायक नियंत्रक, मुद्रण, लेखन सामग्री.	द्वितीय वर्ग	9	रु. 2200—75—2800—100—4000

4. अनुसूची तीन में अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाय, अर्थात्:—

"

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप नियंत्रक मुद्रण लेखन सामग्री.	(एक)	संयुक्त नियंत्रक, मुद्रण	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य . . . . . "अध्यक्ष"	5 वर्ष	
	(दो)	संयुक्त नियंत्रक, लेखन सामग्री.	2. सचिव, राजस्व विभाग . . . . . "सदस्य"		
			3. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री . . . . "सदस्य"		

"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 1990

क्र. 13-2-87-सात-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना क्र. एफ. 13-2-87-सात-5, दिनांक 27 जून 1990 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 27th June 1990

No. F. 13-2-87-VII-5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following Amendments in the Madhya Pradesh, Printing and Stationery (Gazetted) Service Rules, 1969 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 5, under the heading "cadre"—

(a) after serial number (i) the following serial numbers shall be inserted, namely:—

(ii) Joint Controller, Printing.

(iii) Joint Controller, Stationery.

(b) the existing Serial No. (ii) may be read as Serial No. (iv).

2. in rule 7, in sub-rule (1) after clause (i) the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(i-a) the cadre of Joint Controller Printing and Joint Controller Stationery shall be made by promotion from the cadre of Deputy Controllers, Printing, Stationery.".

3. for existing Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—I
(*See rule 6*)

	Name of Post	Classification	No. of posts in the cadre	Scale of Pay
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Controller, Printing and Stationery.	Class-I	1	I. A. S.
2.	Joint Controller, Printing	Class-I	1	Rs. 3700—125—4700—150—5000.
3.	Joint Controller, Stationery	Class-I	1	Rs. 3700—125—4700—150—5000.
4.	Deputy Controller, Printing, Stationery.	Class-I	6	Rs. 3000—100—3500—125—4500
5.	Asstt. Controller, Printing, Stationery.	Class-II	9	Rs. 2200—75—2800—100—4000.

4. In Schedule III, after S. No. 3, the following S. No. and entries relating thereto shall be added, namely:—

"

	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
4.	Deputy Controller, Printing, Stationery.	(i)	Joint Controller, Printing.	1.	Chairman or member of Public Service Commission— "Chairman"	5 Years	
		(ii)	Joint Controller, Stationery.	2.	Secretary, Revenue Department— "Member"		
				3.	Controller, Printing & Stationery— "Member"		

"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. K. SRIVASTAVA, Secy.

शाकेमुभो—19—निमुतलेसाभो—3-4-93—50.

भाग 4 (ग)
अन्तिम नियम

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 1995

क्र. 1-47-सात-शाखा-6-94.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन में, उप नियंत्रक के पद पर पदोन्नति से संबंधित प्रविष्टि के सामने कालम (6) में की विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

Bhopal, the 19th January 1995

No. 1-47-VII-Section-6-94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in th Madhya Pradesh Printing and Stationery (Gazetted) Service Rules, 1969, namely:—

AMENDMENT

In the said rule, in Schedule III, the existing entries in column (6), against the entry relating to the promotion to the post of Deputy Controller shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श. ह. कान्ट्रेक्टर, उपसचिव.